

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक(ग्रेड-2),  
पशुपालन विभाग,  
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

पशुधन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 14 सितम्बर, 2015

विषय - रिट याचिका संख्या-1323/ 2010 शमीमा बानो व अन्य बनाम उप्रो सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 6-9-2011 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उप्रो, लखनऊ के पत्र संख्या-425/स्थान-2/1-ख/ 14(1078)/ 2012 दिनांक 11-5-2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-1323/ 2010 - शमीमा बानों व अन्य बनाम उप्रो सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 6-9-2011 के अनुपालन में विशेष अपील संख्या-177/ 2012-राज्य सरकार व अन्य बनाम शमीमा बानो व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन श्रीमती शमीमा बानों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
दया शंकर सिंह  
संयुक्त सचिव

संख्या / 25/ 2015/ 4082(1) / 37-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निदेशक(प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उप्रो, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, उप्रो, लखनऊ।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
दया शंकर सिंह  
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।